न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा **बनाम** 1. हेमा पिता कालू भील निवासी टोकरवाड तहसील हुरडा

–प्रार्थी –विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)</u>

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2990/2719 रकबा 10.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 10.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के पुत्र ने दिनांक 27.02.2020 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी हेमा भील का स्वर्गवास 06 माह पूर्व हो गया है। इस हेतु तहसीलदार हुरडा द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.12.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार हुरडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरूद्ध कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार हुरडा मृतक के वारिसान की जांच कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा